क्रमांक 1937-ज(II)-82/1283.--श्री मनसा राम, पुत्र श्री खुबो राम, गांव भागेसरी, तहसील दादरी, जिला भिवानी, की दिनांक 20 अगस्त, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनसा राम को मुबलिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10707-जे. एन.-(III)-66/18348, दिनांक 25 अगस्त, 1966, तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती गोरां देवी के नाम रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1879-ज(II)-82/1287.--श्री महासिंह, पुत्र श्री घनश्याम, गांव मंदोला, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ को दिनांक 24 अक्तूबर, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री महासिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 12015-जे.एन.-III-65/11297, दिनांक 21 दिसम्बर, 1965, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे(1)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति पारवती के नाम खरीफ 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 12 जनवरी, 1983

क्रमांक 1965-ज-(II)-82/1440.--श्री मनी राम, पुत्र श्री टीकम, गांव चिड़िया, तहसील दादरी, जिला भिवानी, की दिनांक 18 अक्तूबर, 1978, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य मे अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनी राम को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1797-आर(4)-67/2471-ए, दिनांक 25 जुलाई, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति निम्बो के नाम खरीफ, 1979 के लिये 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

टी० आर० तुली,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 16 जनवरी, 1984

सं.ओ.वि./भिवानी/40-83/2643.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० नव भारत उद्योग भिवानी, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियय की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामलें, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामलें) है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्रमिकों को हाजरी कार्ड दिये जाए ? यदि हां, तो किस विवरण में ?